UPSR010005022026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– राकेश धर दुबे, **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02008**

जमानत आवेदन नं०-192/2026

1–**ननके** उम्र 45 वर्ष पुत्र जब्बार

2–**साकरून उर्फ छोटकी** उम्र 42 वर्ष पत्नी ननके

निवासी–बैजपुरवा खाले ककरा, दा0–महरौली, थाना–को0 भिनगा, जनपद–श्रावस्ती।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

प्रति

राज्य उ0 प्र0 .....अभियोगी

अ0सं0–80/2026
धारा–80 (2), 85, 352, 351 (3)
बी0 एन0 एस0 व
धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–भिनगा, जनपद–श्रावस्ती

दिनांक 28.03.2026

निस्तारण जमानत आवेदन

1– वर्तमान जमानत आवेदन आवेदकगण/अभियुक्तगण **ननके** एवं **साकरून उर्फ छोटकी** की ओर से अपराध संख्या 80/2026, धारा 80 (2), 85, 352, 351 (3) बी0 एन0 एस0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना भिनगा, जनपद श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैः– वादी झल्ली ने प्रभारी निरीक्षक थाना भिनगा, जनपद श्रावस्ती को दिनांक 24.02.2026 को इस आशय की तहरीर दिया कि उसने अपनी लड़की रोजी खातून की शादी करीब 03 साल पूर्व मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक रिजवान पुत्र ननके निवासी वैजूपुरवा दा0 महरौली थाना कोतवाली भिनगा जिला श्रावस्ती के साथ करके तमाम दहेज के साथ उसने शादी में ही अपनी लड़की रोजी खातून को रूखसत किया। वादी की लड़की ससुराल जाकर विपक्षी रिजवान के साथ हक जौजियत अदा किया। दौरान जौजियत रिजवान के नुत्फे से और रोजी खातून के वत्न से एक लड़का करीब 3 माह पैदा हुआ। विपक्षी रिजवान व उसके पिता ननके व उसकी मॉ छोटकी उर्फ जाकरून व उसकी बहने फुल्ली और रूबी अतिरिक्त दहेज स्वरूप चार पहिया गाड़ी व 50,000/–रूपये नगद की मॉग कर गाली

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.03.28 16:15:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गुप्ता व जान से मारने की धमकी देकर मारपीट कर रूहानी व जिस्मानी तकलीफे देते रहे। इस बात को उसकी लड़की रोजी खातून उससे व उसके परिवार वालों से बताया करती थी कि दहेज की मॉग कर उसे मारते पीटते हैं और दहेज न देने पर उसकी हत्या भी कर सकते हैं जिसकी सूचना दिनांक 23.02.2026 ई0 को अपने मो0 नं0 8828970790 के जरिये मो0 नं0 8756478914 पर करीब 8 बजे बहन आसमा खातून पर फोन करके बताया कि उपरोक्त सभी लोग अतिरिक्त दहेज उपरोक्त के अभाव में उसे जान से मारने की प्लान बना रहे हैं। इस बात को करीब 11.30 बजे रात्रि में मो0 नं0 9721062241 पर अपने पिता को भी उपरोक्त बात की सूचना दी। दिनांक 23.02.2026 ई0 को करीब 12 बजे के आसपास जुमला विपक्षीगण उपरोक्त अतिरिक्त दहेज के अभाव में एक राय होकर गला दबाकर जान से मारकर कमरे में लटका दिया। सूचना पर सुबह पहुॅचकर देखा तो उसकी लड़की मरी पड़ी है। अतः उसकी सूचना पर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी। अतः निवेदन है कि विपक्षीगणों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी। उक्त तहरीर के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं तीन अन्य के विरूद्ध मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 80(2), 85, 352, 351(3) बी0एन0एस0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में पंजीकृत हुई। मामले की विवेचना लम्बित है।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण का प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कोई भूमिका नहीं है और ना ही उक्त घटना से आवेदक/अभियुक्त का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण सास व ससुर हैं और उनके द्वारा न तो कोई भी अतिरिक्त दहेज की मॉग की गयी है और न ही किसी प्रकार का क्रूरता/प्रताड़ना ही किया गया है और न ही मारा पीटा गया है। मात्र परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामांकित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से है। प्रथम सूचक ने विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण मृतका के ससुर एवं सास हैं। मृतका की मृत्यु आवेदकगण/अभियुक्तगण के घर में शादी के तीन वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में हुई है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा केस डायरी एवं उसके साथ उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6– अपराध सं0 80/2026, थाना को0 भिनगा से सम्बन्धित केस डायरी तथा उसके साथ उपलब्ध सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। वादी मुकदमा द्वारा मृतका के मृत्यु के उपरान्त दिनांक 24.02.2026 को थाने में दी गयी सूचना में दहेज की मॉग हेतु उत्पीड़न किये जाने का कोई कथन या आरोप नहीं लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मृतका द्वारा दिनांक 23.02.2026 को करीब 8 बजे एवं पुनः रात्रि में 11.30 बजे फोन करके जान से मारने की योजना बनाने की बात बताने का कथन किया गया है परन्तु उक्त के बाद भी वादी मुकदमा अथवा किसी भी परिजन द्वारा मृतका से कोई सम्पर्क नहीं किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर में लिगेचर मार्क के अतिरिक्त अन्य कोई चोट नहीं पायी गयी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण मृतका के ससुर एवं सास हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक 27.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुणदोष पर कोई अन्तिम राय प्रकट न करते हुए, इस न्यायालय की राय में आवेदकगण/अभियुक्तगण ननके एवं साकरून उर्फ छोटकी का जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **ननके** एवं **साकरून उर्फ छोटकी** का जमानत आवेदन निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किया जाता हैः–

(i)– यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेंगे।

(ii)– यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(iii)– यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तो के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा पचास–पचास हजार की दो–दो जमानतें व समान धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की

संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाये।

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 28.03.2026